न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 32/2019

उनवान

सोहनलाल पिता नानिया चरपोटा जाति भील निवासी माजिया तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रार्थी

बनाम

(1) चम्पालाल पुत्र नानिया जाति भील उम्र वयस्क निवासी माजिया तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(2) मथुरी पत्नी मोतिया जाति भील उम्र वयस्क निवासी माजिया तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(3) तहसीलदार, गढी हाल अरथूना जिला बांसवाडा।

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 10.2.2021

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण नम्बर 01 से 02 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भुमि खाता संख्या 14 नया 47 पुराना वाके गांव माजिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज) मे स्थित है। यह कि प्रार्थी को परिवार के लोग प्यार से चुन्नीलाल के नाम से पुकारते थे जिस कारण प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व की उक्त कृषि भुमि में प्रार्थी का नाम चुन्नीलाल अंकित करवा दिया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम सोहनलाल है। प्रार्थी की नाम से जारी आधार कार्ड एवं परिवार राशन कार्ड, बैंक खाता, विद्यालय रिकार्ड, कक्षा दसवी की अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड, पुराने मतदाता पहचान पत्र, सर्विस बुक, अन्तिम वेतन सर्टिफिकेट व अन्य दस्तावेजो मे प्रार्थी का वास्तविक नाम सोहनलाल ही दर्ज रिकार्ड है। उक्त त्रुटी की वजह से रेकार्ड में चुन्नीलाल करवा देने से प्रार्थी को कई समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है। जिस वजह से उक्त त्रुटी को दुरस्त करना आवश्यक होने से धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम के तहत् प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 से 02 की ओर से श्री जनार्दन पटेल अभिभाषक का वकालातनाम पेश होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से प्रस्तुत जवाब में प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र को स्वीकार किया गया। प्रकरण में स्वतन्त्र गवाह के रूप में श्री रमणलाल का शपथ—पत्र पेश हुआ। भूमिधारी तहसीलदार, अरथूना द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थी सोहनलाल का घरेलु नाम चुनिया है व आम बोलचाल में भी चुन्नीलाल नाम का प्रयोग किया जाता रहा है तथा नामान्तरकरण दर्ज करतें समय भी चुन्नीलाल दर्ज हो गया है, जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में सोहनलाल पिता नानीया का अंकन है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम चुन्नीलाल के स्थान पर सोहनलाल पिता नानीया दर्ज करने की अनुशंसा की गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र, पटवार हल्का नाहली के मौजा माजीया की खाता संख्या 14 (नया) 47 (पुराना) की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078, ग्राम पंचायत नाहली द्वारा की गई अनुशंसा, नागरिकता प्रमण—पत्र, अंक तालिका, जाति प्रमाण—पत्र, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि की छाया प्रतियों एंव भूमिधारी तहसीलदार, अरथूना की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन कर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा है कि [illegible] हल्का नाहली के मौजा माजीया की खाता संख्या 14 (नया) 47 (पुराना) की [illegible]बन्दी [illegible]वत 2075 से 2078 में दर्ज चुन्नीलाल पिता नानीया के स्थान पर सो[illegible] जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीक[illegible] हल्का नाहली के मौजा [illegible] की खाता संख्या 14 (नया) 47 (पुराना) की जमाबन्दी संव[illegible]075 से 2078 में दर्ज चु[illegible] पिता नानीया के स्थान पर सोहनलाल पिता नानीया बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदे[illegible] जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.2.2021 को सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)IAS

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:06:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner